# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

## कार्य वितरण आदेश

क्रमांक क/एक–11–1/2017 राजनांदगांव दिनांक 02 जनवरी, 2024

मैं **आलोक कुमार**, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व के समस्त कार्य वितरण आदेशों को निरस्त करते हुए सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के मध्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों के कार्य के लिये निम्नानुसार कार्य वितरण आदेश पारित करता हूँ, जो आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा। यह आदेश लंबित मामलों को प्रभावित नहीं करेगा :–

| क्रमांक | न्यायालय का नाम | क्षेत्र | प्रकरणों का प्रकार | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव | सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव | (1) | सभी सत्र वाद। |
| | | | (2) | सभी आपराधिक अपील। |
| | | | (3) | सभी आपराधिक पुनरीक्षण । |
| | | | (4) | आपराधिक प्रकरणों के अंतरण के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र । |
| | | | (5) | विविध आपराधिक कार्यवाहियां। |
| | | | (6) | जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 द.प्र.स. (स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विद्युत अधिनियम, अनु.जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1988, बाल न्यायालय के क्षेत्रान्तर्गत बाल अधिकार अधिनियम 2005, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बलात्संग के प्रकरण से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों को छोड़कर) । |
| | | | (7) | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निरकरण । |
| | | | (8) | छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना 9742/3446/21–ब/2015 दिनांक 09.10.2015 के अनुसार जमाकर्ताओं का हित संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (9) | छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना पृ.क्र. 10059/2991/21–ब/छ.ग./2018 दिनांक 09.10.2018 के अनुसार दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (10) | औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत् मिलावटी दवाओं/नकली दवाओं तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अन्य प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (11) | खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण के रूप में संबंधित मामलों का निराकरण । |
| | | | (12) | राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़ चौकी तहसीलों से उत्पन्न रूपये 50,00,000/– से अधिक मूल्यांकन के सभी प्रकार के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (13) | सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपरोक्त विवादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद । |
| | | | (14) | पुलिस थाना कोतवाली, पुलिस चौकी चिखली, राजनांदगांव, थाना सोमनी तथा पुलिस थाना बसंतपुर (पुलिस चौकी सुरगी सहित) क्षेत्रों से उद्भुत मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत उत्पन्न सभी प्रकार के **(धारा 164 मोटर यान अधिनियम 1988 एवं ऐसे वाहन जिनका बीमा नहीं है, से उद्भुत दावा प्रकरणों सहित)** मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण । |
| | | | (15) | आर्बिट्रेशन से संबंधित सभी प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाही के प्रकरण । |
| | | | (16) | नगर निगम राजनांदगांव के चुनाव से उत्पन्न अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकायें। |
| | | | (17) | केन्द्रीय/राज्य के अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ, जो जिला न्यायालय या मूल अधिकारिता वाले जिले के प्रमुख न्यायालय मे पेश किये जाने योग्य हो और जिनके संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया है, प्रस्तुत किये जायेंगे। |
| | | | (18) | सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण । |
| | | | (19) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 राजनांदगांव के न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न व्यवहार/विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण । |
| | | | (20) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 राजनांदगांव द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 172 (3) के अन्र्तगत प्रस्तुत पुनरीक्षण । |
| 2. | विशेष न्यायाधीश, (अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण) राजनांदगांव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव | सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव | (1) | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 सहपठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं उनसे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण । |
| | | | (2) | छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना पृ.क्र.3493/894/21–ब/छ.ग./2021 दिनांक 06.03.2021 के आदेशानुसार सिविल जिला राजनांदगांव से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण । |
| | | | (3) | सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों एवं आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (4) | जिला न्यायाधीश / मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित किये गये व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (5) | उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण। |
| | | | (6) | जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन। |
| | | | (7) | पुलिस थाना छुरिया (छुरिया के पुलिस चौकी जोब सहित) व (पुलिस चौकी चिचोला के डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्‌भुत मामलों को छोड़कर चिचोला चौकी के शेष मामले) तथा थाना मोहला क्षेत्र से उद्‌भुत मामलों को छोड़कर चिचोला चौकी के शेष मामले) तथा थाना मोहला क्षेत्रों से उद्‌भुत मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत उत्पन्न सभी प्रकार के **(धारा 164 मोटर यान अधिनियम 1988 एवं ऐसे वाहन जिनका बीमा नहीं है, से उद्‌भुत दावा प्रकरणों सहित**) मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण । |
| 3 | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव | सिविल जिला राजनांदगांव एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव | (1) | राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अंबागढ़ चौकी, तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न रूपये **40,00,001 से 50,00,000** / – तक सभी प्रकार के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण। |
| | | | (2) | जिला न्यायाधीश / मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित किये गये व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (3) | उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण। |
| | | | (4) | उपरोक्त तहसीलों से उत्पन्न भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण । |
| | | | (5) | रूपये 20,001 / – से अधिक मूल्यांकन के को–आपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (6) | रिलिजियश एवं चेरिटेबल एंडोवमेंट ट्रस्ट एक्ट 1937 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (7) | राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़ चौकी तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने वाले रूपये 501 / – से 1000 / – तक के मूल्यांकन के लघुवाद। |
| | | | (8) | [1] द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 राजनांदगांव, [2] द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 राजनांदगांव [3] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव [4] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों / आदेशों से उत्पन्न व्यवहार / विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (9) | छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14391/3830/21–ब/छ.ग./2023 रायपुर दिनांक 20.12.2023 में निहित अनुसूची–II के अनुसार वाणिज्यिक न्यायालय की हैसियत से सिविल जिला राजनांदगांव एवं कबीरधाम (कवर्धा) से उद्भुत **रूपये 10,00,000/– से 50,00,000/– तक के आर्थिक मूल्यांकन के (आर्बिट्रेशन के मामलो सहित) वाणिज्यिक मामलों** का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण तथा उससे संबंधित निष्पादन व विविध अनुसांगिक कार्यवाहियां। |
| | | | (10) | छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1574/21–ब/छ.ग./2014 रायपुर दिनांक 27.5.2014 द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार के तहत स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत प्रस्तुत विशेष आपराधिक प्रकरणों व उनसे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्र का निराकरण। |
| | | | (11) | छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग रायपुर की अधिसूचना एफ. क्रमांक 2987/900/21–ब/छ.ग./15, दिनांक 31.3.2015 के आदेशानुसार सिविल जिला राजनांदगांव से उत्पन्न भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्र का निराकरण। |
| | | | (12) | माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के परिपत्र क्रमांक **9687/दो–6–2/2023(एमपी/एमएलए) दिनांक 02.08.2023** के आदेशानुसार सिविल जिला राजनांदगांव से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण (एमपी–एमएलए) व उनसे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्र का निराकरण। |
| | | | (13) | सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन जो सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरण किये जाते है, का निराकरण। |
| | | | (14) | जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन। |
| | | | (15) | पुलिस थाना लाल बाग, (पुलिस चौकी तुमड़ीबोड सहित), थाना घुमका, थाना मानपुर एवं थाना खड़गांव क्षेत्रों से उद्भुत मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत उत्पन्न सभी प्रकार के **(धारा 164 मोटर यान अधिनियम 1988 एवं ऐसे वाहन जिनका बीमा नहीं है, से उद्भुत दावा प्रकरणों सहित**) मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव | – | (1) | '' रिक्त न्यायालय'' |
| 5 | तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव | सिविल जिला राजनांदगांव एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव | (1) | राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अंबागढ़ चौकी तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न रूपये **25,00,001 से 40,00,000/–** तक सभी प्रकार के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण। |
| | | | (2) | जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित किये गये व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (3) | उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण। |
| | | | (4) | द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय) राजनांदगांव के न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (5) | सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन जो सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरण किये जाते है, का निराकरण। |
| | | | (6) | [1] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश राजनांदगांव<br>[2] तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 राजनांदगांव<br>[3] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 राजनांदगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, के न्यायाालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न व्यवहार/विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण। |
| | | | (7) | जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन। |
| | | | (8) | थाना ठेलकाडीह (राजस्व तहसील राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाले 25 गांव सहित), थाना औंधी, थाना मदनवाड़ा, थाना तेरेगांव (कोहका), थाना चिल्हाटी एवं अम्बागढ़ चौकी क्षेत्रों से उद्भुत मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत उत्पन्न सभी प्रकार के **(धारा 164 मोटर यान अधिनियम 1988 एवं ऐसे वाहन जिनका बीमा नहीं है, से उद्भुत दावा प्रकरणों सहित)** मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (फास्ट ट्रेक न्यायालय) राजनांदगांव | सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव | (1) | राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़ चौकी तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न रूपये **10,00,001/– से 25,00,000/– तक** के सभी प्रकार के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण। |
| | | | (2) | जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावाधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित किये गये व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, व्यवहार अपील, विविध व्यवहार अपील एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (3) | उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण। |
| | | | (4) | व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद । |
| | | | (5) | उपरोक्त तहसीलों से उत्पन्न म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1956 की धारा 149 के अन्तर्गत अपील का निराकरण । |
| | | | (6) | इन्सालवेंशी अपील का निराकरण । |
| | | | (7) | लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य बेदखली अधिनियम 1971) की धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत मामलों का विचारण । |
| | | | (8) | [1] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी स्थान अम्बागढ़ चौकी<br>[2] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव<br>[3] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 राजनांदगांव के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश राजनांदगांव<br>[4] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 राजनांदगांव के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश राजनांदगांव<br>[5] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 राजनांदगांव के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश राजनांदगांव के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/डिक्रियों तथा आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपीलों का निराकरण । |
| | | | (9) | छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक–2953/1147/21–ब/छ.ग./2013 दिनांक 11.04.2013 के अनुसार महिलाओं के विरूध्द होने वाले अपराधों की सुनवाई एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। |
| | | | (10) | सत्र खण्ड राजनांदगांव के तहसील राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़ चौकी क्षेत्रों से उत्पन्न बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 एवं बलात्संग के प्रकरणों का निराकरण व उससे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। |
| | | | (11) | सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन जो सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरण किये जाते है, का निराकरण। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (12) | जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन। |
| | | | (13) | पुलिस थाना बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भुत मामलों को छोड़कर), थाना डोंगरगांव, थाना सीतागांव एवं थाना गेंदाटोला क्षेत्रों से उद्भुत मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत उत्पन्न सभी प्रकार के **(धारा 164 मोटर यान अधिनियम 1988 एवं ऐसे वाहन जिनका बीमा नहीं है, से उद्भुत दावा प्रकरणों सहित)** मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण । |
| 7 | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय) राजनांदगांव | सत्र खण्ड राजनांदगांव | (1) | सत्र खण्ड राजनांदगांव के तहसील राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़ चौकी क्षेत्रों से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोपित प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण व उससे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण । |
| | | | (2) | सत्र खण्ड राजनांदगांव के तहसील राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी एवं बागनदी (डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर) क्षेत्रों से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 सहपठित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं उससे |
| | | | | संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियाँ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। |
| | | | (3) | बालक न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों का विधिवत् निराकरण । |
| | | | (4) | जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन। |
| 8 | अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण खैरागढ़ | सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव के तहसील खैरागढ़, छुईखदान, साल्हेवारा एवं गण्डई क्षेत्रों से उत्पन्न (राजस्व जिला खैरागढ़, छुईखदान एवं गण्डई क्षेत्र से उत्पन्न) | (1) | सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ, जमानत आवेदन पत्रों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं विद्युत अधिनियम के प्रकरणों व जमानत पत्रों को छोड़कर) के निराकरण सहित बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोपित प्रकरणों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहपठित लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों का विधिवत् निराकरण और उससे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (2) | खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई एवं साल्हेवारा तहसीलों से उत्पन्न रूपये 10,00,000/– से अधिक मूल्यांकन के वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण । |
| | | | (3) | खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई तथा साल्हेवारा तहसीलों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले मोटर दुर्घटना दावा संबंधी समस्त प्रकरणों का निराकरण, एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (4) | धारा 92 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद । |
| | | | (5) | उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण। |
| | | | (6) | खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई तथा साल्हेवारा तहसीलों से उत्पन्न भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण । |
| | | | (7) | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खैरागढ़ द्वारा (172)(3) नगर पालिका एक्ट 1961 के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण । |
| | | | (8) | नगर पालिक अधिनियम 1961 (1961 के अधिनियम 37) की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण याचिकायें। |
| | | | (9) | खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई तथा साल्हेवारा तहसीलों से उत्पन्न लघुवाद अधिनियम के अन्तर्गत 501/– से 1000/– रूपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण । |
| | | | (10) | तहसील खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई तथा साल्हेवारा क्षेत्रांतर्गत केन्द्रीय/राज्य के अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ प्रस्तुत किये जायेंगे, जो कार्य विभाजन में अन्यथा उपबंधित नहीं है। |
| | | | (11) | [1] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई स्थान खैरागढ़<br>[2] व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 खैरागढ़ – छुईखदान – गण्डई स्थान खैरागढ़<br>[3] व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छुईखदान के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न व्यवहार/विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण। |
| | | | (12) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन। |
| 9 | अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण डोंगरगढ़ | सिविल जिला एवं सत्र खण्ड राजनांदगांव के तहसील डोंगरगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न | (1) | सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ, जमानत आवेदन पत्रों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं विद्युत अधिनियम के प्रकरणों व जमानत पत्रों को छोड़कर) के निराकरण सहित बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोपित प्रकरणों |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहपठित लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों का विधिवत् निराकरण और उससे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण। |
| | | | (2) | डोंगरगढ़ तहसील से उत्पन्न रूपये 10,00,000/– से अधिक मूल्यांकन के वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण। |
| | | | (3) | डोंगरगढ़ तहसील के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मोटर दुर्घटना दावा संबंधी प्रकरणों एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण राजनांदगांव द्वारा अंतरित प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (4) | धारा 92 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद । |
| | | | (5) | उपरोक्त वादों व दावों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण। |
| | | | (6) | राजस्व तहसील डोंगरगढ़ से उत्पन्न भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण । |
| | | | (7) | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 डोंगरगढ़ द्वारा (172)(3) नगर पालिका एक्ट 1961 के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण । |
| | | | (8) | नगर पालिक अधिनियम 1961 (1961 के अधिनियम 37) की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण याचिकायें। |
| | | | (9) | डोंगरगढ़ तहसील से उत्पन्न लघुवाद अधिनियम के अन्तर्गत 501/– से 1000/– रूपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण । |
| | | | (10) | डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उत्पन्न संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना । |
| | | | (11) | डोंगरगढ़ राजस्व तहसील क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1860 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाओं का निराकरण करना । |
| | | | (12) | डोंगरगढ़ राजस्व तहसील क्षेत्र से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों/याचिकाओं का निराकरण करना । |
| | | | (13) | डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्रांतर्गत केन्द्रीय/राज्य के अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ प्रस्तुत किये जायेंगे, जो कार्य विभाजन में अन्यथा उपबंधित नहीं है। |
| | | | (14) | [1] व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 डोंगरगढ़<br>[2] व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश डोंगरगढ़ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | [3] व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, डोंगरगढ़ के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रियों तथा आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपीलें एवं विविध व्यवहार अपीलें । |
| | | | (15) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन। |
| 10 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, राजनांदगांव | तहसील डोंगरगांव | (1) | रूपये 5,00,001/–से 10,00,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण। |
| | | | (2) | उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद । |
| | | | (3) | राजस्व तहसील राजनांदगांव, डोंगरगांव, एवं छुरिया तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण । |
| | | | (4) | ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण । |
| | | | (5) | पंचायत अधिनियम की धारा 84(1) एवं 182(1) के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने हेतु याचिकायें। |
| | | | (6) | राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया राजस्व तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न दिवालियापन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (7) | लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय 500/– तक की लघुवाद प्रकरण । |
| | | | (8) | उपरोक्त प्रकरणों के अन्तर्गत प्रस्तुत निष्पादन एवं विविध वाद । |
| | | | (9) | धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (10) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन। |
| | | | (11) | छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14391/3830/21–ब/छ.ग./2023 रायपुर दिनांक 20.12.2023 में निहित अनुसूची–I के अनुसार वाणिज्यिक न्यायालय की हैसियत से सिविल जिला राजनांदगांव एवं कबीरधाम (कवर्धा) से उद्भुत **रूपये 3,00,000/– से 10,00,000/– तक के आर्थिक मूल्यांकन के (आर्बिट्रेशन के मामलो को छोड़कर) वाणिज्यिक मामलों** का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण तथा उससे संबंधित निष्पादन व विविध अनुसांगिक कार्यवाहियां। |
| | | | (12) | माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के **परिपत्र क्रमांक 9687/दो–6–2/2023(एमपी/एमएलए) दिनांक 02.08.2023** के आदेशानुसार सिविल जिला राजनांदगांव से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण (एमपी–एमएलए) व उनसे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्र का निराकरण। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, राजनांदगांव | – | (1) | '' रिक्त न्यायालय'' |
| 12 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव | – | (1) | '' रिक्त न्यायालय'' |
| 13 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, राजनांदगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव | तहसील राजनांदगांव एवं छुरिया | (1) | रूपये 5,00,001/– से 10,00,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण । |
| | | | (2) | उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण । |
| | | | (3) | रूपये 20,000/– तक के मूल्यांकन के को–आपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (4) | इम्पलाईज स्टेट इन्श्योरेंस एक्ट 1948 (1948 के एक्ट क्रमांक 34) के प्रकरण । |
| | | | (अ) | राजनांदगांव कार्पोरेशन के अन्तर्गत । |
| | | | (ब) | मोहला तहसील के राजस्व ग्रामों के क्षेत्र के अन्तर्गत। |
| | | | (स) | राजनांदगांव रेल्वे बोर्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत । |
| | | | (5) | राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र से उत्पन्न नगर पालिक अधिनियम 1961 (1961 के एक्ट क्रमांक 37) की धारा 139 एवं 173 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें । |
| | | | (6) | [1] द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 राजनांदगांव<br>[2] प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश राजनांदगांव के न्यायालयों द्वारा पूर्व में पारित निर्णय/ आदेशों से उद्भुत विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय/आदेशों के पालन की कार्यवाहियां। |
| | | | (7) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन। |
| 14 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी स्थान अम्बागढ़ चौकी | तहसील अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर | (1) | रूपये 1/– से 10,00,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण । |
| | | | (2) | को–आपरेटिव सोसायटी के अन्तर्गत रू.20,000/– तक के प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (3) | राजस्व तहसील अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर से उत्पन्न 200/– रूपये से 1000/– रूपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकृति के प्रकरणों से नियमित |
| | | | (4) | लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय रूपये 500/– तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण । |
| | | | (5) | उपरोक्त वादों एवं तथ्यों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (6) | नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें । |
| | | | (7) | धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (8) | दिवालियापन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (9) | नगर पालिक अधिनियम 1961 (1961 के एक्ट क्रमांक 37) की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें। |
| | | | (10) | पंचायत अधिनियम की धारा 89(1) एवं 102 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने संबंधी याचिकायें । |
| | | | (11) | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण । |
| | | | (12) | डिस्प्लेस्ड परसन्स (डेब्ट एडजस्टमेण्ट) एक्ट 1951 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (13) | ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण । |
| | | | (14) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| 15 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, खैरागढ़–गण्डई–छुईखदान स्थान खैरागढ़ | तहसील खैरागढ़, छुईखदान, साल्हेवारा एवं गण्डई | (1) | खैरागढ़, छुईखदान, साल्हेवारा एवं गंडई तहसील से उत्पन्न **रूपये** 5,00,001/– **से** 10,00,000/– तक के मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण। |
| | | | (2) | कोआपरेटिव सोसायटी के अन्तर्गत रूपये 20,000/– तक के प्रकरणों का निराकरण । |
| | | | (3) | लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय रूपये 500/– तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण । |
| | | | (4) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण किया जाना। |
| | | | (5) | धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (6) | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण । |
| | | | (7) | दिवालियापन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (8) | नगर पालिका अधिनियम 1961(1961 के एक्ट क्रमांक 37) की धारा 139–172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें । |
| | | | (9) | न्याय पंचायत एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत व्यवहार वाद एवं आपराधिक पुनरीक्षण । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (10) | पंचायत एक्ट की धारा 84(1) एवं 102(1) के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने हेतु प्रस्तुत याचिकायें । |
| | | | (11) | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, खैरागढ़ द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद का निराकरण । |
| | | | (12) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| 16 | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, डोंगरगढ़ | तहसील डोंगरगढ़ | (1) | रूपये 5,00,001/– से 10,00,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद तथा जिला न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा समय समय पर अंतरित व्यवहार |
| | | | (2) | लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय रू.500/– तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण । |
| | | | (3) | कोआपरेटिव सोसायटी के अन्तर्गत रूपये 20,000/– तक के प्रकरणों का निराकरण ! |
| | | | (4) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण किया जाना। |
| | | | (5) | धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (6) | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण । |
| | | | (7) | दिवालियापन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण । |
| | | | (8) | नगर पालिका अधिनियम 1961(1961 के एक्ट क्रमांक 37) की धारा 139–172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें । |
| | | | (9) | न्याय पंचायत एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत व्यवहार वाद एवं आपराधिक पुनरीक्षण । |
| | | | (10) | पंचायत एक्ट की धारा 84(1) एवं 102(1) के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार को रद्द किये जाने हेतु प्रस्तुत याचिकायें। |
| | | | (11) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (12) | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश डोंगरगढ़ के न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय/ आदेशों से उद्भुत विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय/आदेशों के पालन की कार्यवाहियां । |
| 17 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव | – | (1) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (2) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण। |
| 18 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव | तहसील राजनांदगांव, डोंगरगांव एवं छुरिया | (1) | रुपये 3,00,001/– से 5,00,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण । |
| | | | (2) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (3) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (4) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 राजनांदगांव के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पूर्व में पारित निर्णय/आदेशों से उद्भुत निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण । |
| 19 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव | तहसील राजनांदगांव, डोंगरगॉव एवं छुरिया | (1) | **रुपये 1/– से 3,00,000/–** तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण । |
| | | | (2) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (3) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण । |
| | | | (4) | [1] व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 खैरागढ़ स्थान राजनांदगांव<br>[2] व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 डोंगरगढ़ स्थान राजनांदगांव के न्यायालयों द्वारा पूर्व में पारित निर्णय/आदेशों से उद्भुत विविध कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय/आदेशों के पालन की कार्यवाहियां । |
| 20 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव | तहसील राजनांदगांव, डोंगरगॉव एवं छुरिया | (1) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (2) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण। |
| 21 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव | तहसील राजनांदगांव, डोंगरगॉव एवं छुरिया | (1) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (2) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण। |
| 22 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव | – | (1) | '' रिक्त न्यायालय'' |
| 23 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव | – | (1) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (2) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण । |

| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव | – | (1) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (2) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण । |
| 25 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, राजनांदगांव के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजनांदगांव | – | (1) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (2) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण । |
| 26 | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, खैरागढ़ | तहसील खैरागढ़ | (1) | रूपये 1/–से 5,00,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण । |
| | | | (2) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (3) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण । |
| 27 | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 डोंगरगढ़ | तहसील डोंगरगढ़ | (1) | रूपये 1/– से 5,00,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण । |
| | | | (2) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों |
| | | | (3) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण किया जाना। |
| 28 | व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, छुईखदान | तहसील छुईखदान, साल्हेवारा एवं गण्डई | (1) | रूपये 1/– से 5,00,000/– तक के मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वादों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण । |
| | | | (2) | लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय रूपये 500/– तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण । |
| | | | (3) | जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण एवं सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन । |
| | | | (4) | उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वादों का निराकरण किया जाना । |

*नोट* :– (1) ऐसे समस्त प्रकरण जो इस कार्य वितरण आदेश में दर्शित नहीं है वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे ।

(2) ऐसे समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण जो कि एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हुआ हो और विभिन्न दावा प्राधिकरण में लंबित हो वे सभी प्रकरण नियमानुसार एक ही दावा प्राधिकरण द्वारा सुनवाई किये जायेंगे।

सही/–

(आलोक कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)